न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्याः 15/2023

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

श्री लेहरा पुत्र केसा जी, जातिः तुरी, निवासी– जैतावाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही (मृतक) के विधिक वारिसान :–

1. खेताराम पुत्र लेहराराम जी, जाति– तुरी, निवासी– जैतावाडा, तह0 रेवदर
2. हीराराम पुत्र लेहराराम जी, जाति– तुरी, निवासी– जैतावाडा, तह0 रेवदर
3. सीता पुत्री लेहराराम जी, जाति– तुरी, निवासी– जैतावाडा, हाल निवासी– चनार, तहसील– आबूरोड़, जिला– सिरोही
4. जोशना पुत्री लेहराराम जी पत्नि रेवाराम जी, जाति– तुरी, हाल निवासी– रतनपुर, तहसील– रानीवाडा, जिला– जालोर
5. मंजु पुत्री लेहराराम जी पत्नि जीतू कुमार, जाति– तुरी, हाल निवासी– भाटाराम, माण्डवाडा, तहसील– सिरोही
6. भागु पुत्री लेहराराम जी पत्नि भरत कुमार, जाति– तुरी, हाल निवासी– दांतीवाडा, बनासकांठा, गुजरात
7. इन्द्रा पुत्री लेहराराम जी पत्नि भरत कुमार, जाति– तुरी, हाल निवासी– मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
8. श्रीमती शान्ता पत्नी लेहराराम जी, जाति– तुरी, निवासी– जैतावाडा, तह0 रेवदर

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 16 दिसम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर द्वारा यह प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी लेहरा पुत्र केसा जी तुरी, निवासी– जैतावाडा के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम जैतावाडा, पटवार हल्का जैतावाडा के खसरा संख्या 848 रकबा 8–00 बीघा किस्म बंजर भूमि का उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के द्वारा गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित भूमि का मौके पर आवंटि को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 21–7–2004 से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक आवंटि/अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज नही है। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी लेहरा को नोटिस जारी कर पंजीकृत डाक से प्रेषित किया, लेकिन अप्रार्थी लेहरा की मृत्यु हो जाने से पंजीकृत डाक अदम तामिल इस न्यायालय को वापस प्राप्त हुई। प्रकरण में प्रार्थी

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तहसीलदार, रेवदर के पत्र क्रमांकःरीडर/2023/2002 दिनांक 04—10—2023 से मृतक अप्रार्थी लेहरा पुत्र केसाजी तुरी के विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लिया जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर मृतक लेहरा पुत्र केसाजी तुरी, निवासी— जैतावाडा के विधिक वारिसान (अप्रार्थी संख्या 1 से 8) को रेकर्ड पर लिया जाकर प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये गये। तद्नुसार संशोधित शीर्षक अनवान प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 8 को नोटिस जारी कर पंजीकृत डाक से तामिल करवाये गये। जिस पर प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 क्रमशः खेताराम व हीराराम की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 3 से 8 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम जैतावाडा, पटवार हल्का जैतावाडा के खसरा संख्या 848 रकबा 8—00 बीघा किस्म बंजर भूमि का उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के द्वारा लेहरा पुत्र केसाजी तुरी, निवासी— जैतावाडा को गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित भूमि का मौके पर आवंटि को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 21—7—2004 से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया था। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक आवंटि/अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज नही है। अप्रार्थीगण/आवंटि द्वारा आवंटन का शर्तो का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के जबाव में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी लेहरा पुत्र केसाजी तुरी, निवासी— जैतावाडा, अनुसूचित जाति का भूमिहीन व्यक्ति होने के कारण आवंटन कमेटी की सिफारिश पर उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के आदेश क्रमांकः 209 दिनांक 11—9—1971 के द्वारा ग्राम जेतावाड़ा के खसरा संख्या 848 रकबा 8 बीघा भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया था, जिसका कब्जा सुपर्द नही किये जाने से आवंटि लेहरा द्वारा कब्जा सुपर्द करवाने हेतु जिला कलेक्टर, सिरोही को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांकःआस्था प्रकोष्ट/04/203 दिनांक 09—3—2004 की पालना में अप्रार्थी लेहरा पुत्र केसाजी तुरी को कब्जा सुपर्द किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 21—7—2004 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया था। आवंटि लेहरा का तब से मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था एवं मौके पर आज भी अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। उक्त भूमि पर सिंचाई का कोई साधन नहीं होने के कारण व अप्रार्थी की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं होने से व उक्त भूमि पर अप्रार्थी द्वारा कुंआ नहीं खुदवाया गया जिससे इस भूमि पर वर्षभर खेती किया जाना संभव नहीं है, लेकिन अप्रार्थी ने प्रत्येक वर्ष बारिश के सीजन में उक्त भूमि पर अलग—अलग समय मुंगफली, गेहूँ, रायडा की फसले बोयी है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा संवत् 2077 की प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से भी हो रही है। संवत् 2077 में प्रार्थी ने उक्त भूमि पर पडौस के खेत से पानी लेकर वर्षभर खेती थी जिसका उल्लेख प्रस्तुत खसरा गिरदावरी मे कर रखा है एवं उसके बाद भी अप्रार्थी द्वारा लगातार बारीश के सीजन में उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया है। जिसका उल्लेख भी खसरा गिरदावरी में किया हुआ है लेकिन तहसीलदार रेवदर द्वारा जानबूझकर अपने प्रार्थना पत्र के साथ अन्य गिरदावरी नकले प्रस्तुत नहीं की एवं अप्रार्थी के द्वारा मांग

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

किये जाने पर भी उक्त गिरदावरी की नकले अप्रार्थी को प्रदान नही की है। अन्यथा भी कानूनन आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन करने के बाद व कब्जा सुपूर्द करने के बाद यह उपधारणा की जाती है कि जिस खातेदार का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है उसी का कब्जा मौके पर है। तहसीलदार द्वारा यह प्रकरण हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 06—12—2022 को आधार बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिसमें हल्का पटवारी ने वक्त मौका रिपोर्ट मौके पर गैर खातेदार का कब्जा नहीं होना बताया हैं लेकिन उसी हल्का पटवारी द्वारा उसी वर्ष की खसरा गिरदावरी के वक्त मौके पर अप्रार्थी की गेहूँ व रायडे की फसल होना अंकित किया है, जिससे स्पष्टतया साबित हो रहा है कि हल्का पटवारी दिनांक 06—12—2022 को न तो मौके पर गये व न ही उसने किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट बनाई है। यदि हल्का पटवारी उस रोज मौके पर गये होते तो अवश्य ही अप्रार्थी को इस संबंध में सूचित करत? व मौका फर्द पर अप्रार्थी हस्ताक्षर करवाते, परन्तु न तो मौका रिपोर्ट पर किसी के हस्ताक्षर है न ही किसी की उपस्थिति का अंकन किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अवैध मौका रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को नियमानुसार आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करना किसी भी प्रकार से न्यायहित में नहीं है। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर को नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुती से पूर्व स्वयं मौके पर जाकर कब्जे के संबंध में स्वतंत्र जाँच करनी चाहिए थी उसके बाद ही यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में परिपोषणीय था परन्तु तहसीलदार द्वारा केवल हल्का पटवारी की अवैध रिपोर्ट के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने के कारण काबिले खारिज है तथा वर्तमान में भी मौके पर अप्रार्थीगण की फसल खडी है। अतः अप्रार्थीगण का जबाव स्वीकार कर प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री लेहरा पुत्र केसाजी, जाति— तुरी, निवासी— जेतावाडा को ग्राम जैतावाडा, पटवार हल्का जैतावाडा के खसरा संख्या 848 रकबा 8—00 बीघा किस्म बंजर भूमि का उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के आदेश क्रमांक 209 दिनांक 11—9—1971 के द्वारा आवंटन किया गया था, जिसका अंकन नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 21—7—2004 में किया हुआ है। श्री लेहरा पुत्र केसाजी, जाति— तुरी, निवासी— जैतावाडा को जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांकःआस्था प्रकोठ / 04 / 203 दिनांक 09—3—2004 एवं उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के उक्त आवंटन आदेश क्रमांक 209 दिनांक 11—9—1971 की पालना में उक्त आवंटित भूमि का कब्जा सुपर्द किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 21—7—2004 के द्वारा आवंटित भूमि आवंटिती लेहरा पुत्र केसाजी तुरी के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार की गई, जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2072—2075 में आवंटिती लेहरा पुत्र केसाजी तुरी, निवासी— जैतावाडा के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज है।

इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का यह कथन है कि "आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है, तब से आज तक आवंटिती / अप्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार नही चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नही है एवं काश्त भी दर्ज नही है।" जबकि प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त आवंटित भूमि का आवंटिती लेहरा पुत्र केसाजी तुरी को वर्ष 2004 में कब्जा सुपर्द किया गया है एवं नामान्तरकरण संख्या 875 दिनांक 21—7—2004 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में उक्त आवंटित भूमि, आवंटिती लेहरा पत्र केसाजी तुरी के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज की गई है।

प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथन के समर्थन में प्रार्थना पत्र के साथ संवत 2076—2079 की खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत की है, जिसका

........पेज चार पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

अवलोकन करने पर यह पाया गया कि संवत 2077 में उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थी द्वारा काश्त की जाकर मूंगफली, गेहूं व रायडा की फसल बोई गई है, जिसका अंकन खसरा गिरदावरी में किया हुआ है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का यह कथन माना जाने योग्य नही है कि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा—काश्त नही रहा हो। जबकि संवत 2077 में आवंटिती/अप्रार्थीगण का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा—काश्त राजस्व रेकर्ड खसरा गिरदावरी से प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार, रेवदर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही